

# विधान सभा सचिवालय

उत्तर प्रदेश  
(संसदीय अनुभाग)

संख्या : 128/वि0स0/संसदीय/2(सं)/2020

प्रेषक,

प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

सेवा में,

माननीय सदस्यगण,  
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

विधान भवन, लखनऊ।

दिनांक : 06 फरवरी, 2020

महोदय/महोदया,

इस सचिवालय की अधिसूचना संख्या : 57/वि0स0/संसदीय/09(सं)/2017, दिनांक 27 जनवरी, 2020 के क्रम में मुझे आपको यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश विधान सभा के दिनांक 13 फरवरी, 2020 से 07 मार्च, 2020 तक के उपवेशनों का प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम, जैसा कि माननीय अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ है, संलग्नक-एक के रूप में आपकी सूचनार्थ संलग्न है।

आपको यह भी सूचित करना है कि मा0 राज्यपाल ने "भारत का संविधान" के अनुच्छेद-202 के साथ पठित, उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम-183 के अनुसरण में वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक को उत्तर प्रदेश विधान सभा में प्रस्तुत किये जाने के लिए दिनांक 18 फरवरी, 2020 की तिथि नियत की है।

तदनुसार उक्त वित्तीय वर्ष 2020-2021 का आय-व्ययक दिनांक 18 फरवरी, 2020 को 12:20 बजे अपराह्न सदन में प्रस्तुत किया जायेगा।

उक्त प्रसंग में मुझे आपको यह भी सूचित करना है कि संलग्नक-2 में उल्लिखित अध्यादेश का प्रतिस्थानी विधेयक तथा कतिपय अन्य नये विधेयकों को ऐसे क्रम में विचारार्थ लिये जाने की सम्भावना है जिसकी सूचना आपको यथासमय पृथक से दी जायेगी।

उक्त कार्यक्रम में दिनांक 14 फरवरी एवं 06 मार्च, 2020 को (आधा-आधा दिन) असरकारी दिवस दिया जाना प्रस्तावित है।

संलग्नक : यथोक्त।

भवदीय,  
प्रदीप कुमार दुबे,  
प्रमुख सचिव।

संख्या : 128(1)/वि0स0/संसदीय/2(सं)/2020, तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित :-

- 1-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन,
- 2-अपर मुख्य सचिव, मा0 राज्यपाल, उत्तर प्रदेश,
- 3-मा0 मुख्य मंत्री के निजी सचिव को मा0 मुख्य मंत्री की सूचनार्थ,
- 4-मा0 अध्यक्ष, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को मा0 अध्यक्ष की सूचनार्थ,
- 5-माननीय नेता विरोधी दल, विधान सभा, उत्तर प्रदेश के निजी सचिव को माननीय नेता विरोधी दल की सूचनार्थ,
- 6-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, विधायी विभाग,
- 7-प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, संसदीय कार्य विभाग,
- 8-प्रमुख सचिव, विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश,
- 9-समस्त मा0 मंत्रियों के निजी सचिवों को माननीय मंत्रियों की सूचनार्थ,
- 10-सचिव, विधि मंत्रालय, विधिक कार्य विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 11-सचिव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली,
- 12-महासचिव, राज्य सभा/लोक सभा,
- 13-लोक सभा सचिवालय, कान्फ्रेन्स ब्रान्च, नई दिल्ली,
- 14-सचिव, भारत सरकार, संसदीय कार्य विभाग, 86, संसद भवन, नई दिल्ली,
- 15-सचिव, निर्वाचन आयोग, भारत, नई दिल्ली,
- 16-महाधिवक्ता, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 17-प्रमुख सचिव/सचिव, अन्य राज्य विधान परिषद्/विधान सभा,
- 18-समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश,
- 19-प्रधान महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज,
- 20-समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश,
- 21-उत्तर प्रदेश सचिवालय के समस्त अनुभाग,
- 22-पुलिस आयुक्त, लखनऊ,
- 23-पुलिस अधीक्षक, प्रशिक्षण एवं सुरक्षा शाखा, अभिसूचना विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 24-निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश,
- 25-निदेशक, आकाशवाणी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 26-निदेशक, दूरदर्शन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ,
- 27-संयुक्त निदेशक, ऐशबाग तथा शाखा मुद्रणालय, लखनऊ,
- 28-प्रमुख सचिव, विधान सभा के निजी सचिव को प्रमुख सचिव की सूचनार्थ,
- 29-विधान सभा सचिवालय, उत्तर प्रदेश के समस्त अधिकारीगण तथा अनुभाग,
- 30-विधान पुस्तकालय, उत्तर प्रदेश को विधान सभा की वेब साइट पर अपलोड कराए जाने हेतु।

अशोक कुमार,  
संयुक्त सचिव।

उत्तर प्रदेश विधान सभा का दिनांक 13 फरवरी, 2020 से दिनांक 07 मार्च, 2020 तक का प्रस्तावित तिथिवार कार्यक्रम, जैसा कि मा0 अध्यक्ष, विधान सभा द्वारा अनन्तिम रूप से स्वीकृत हुआ

फरवरी, 2020

- 13 गुरुवार 1-11:00 बजे पूर्वाह्न  
राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत् दोनों सदनों के समक्ष मा0 राज्यपाल का अभिभाषण।  
2-12:30 बजे अपराह्न  
(1) मा0 राज्यपाल के अभिभाषण का पढ़कर सुनाया जाना।  
(2) औपचारिक कार्य, यथा अध्यादेशों, अधिसूचनाओं, नियमों आदि का सदन के पटल पर रखा जाना, विधेयकों का पुरःस्थापन आदि, यदि कोई हों।
- 14 शुक्रवार 1-मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।  
2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।
- 15 शनिवार }  
16 रविवार } बैठक नहीं होगी।
- 17 सोमवार मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
- 18 मंगलवार 1-12:20 बजे अपराह्न  
वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक का प्रस्तुतिकरण।  
2-मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
- 19 बुधवार मा0 राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा।
- 20 गुरुवार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।
- 21 शुक्रवार बैठक नहीं होगी। (महाशिवरात्रि का अवकाश)
- 22 शनिवार }  
23 रविवार } बैठक नहीं होगी।
- 24 सोमवार }  
25 मंगलवार }  
26 बुधवार } वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा।  
27 गुरुवार }

**फरवरी, 2020**

28 शुक्रवार वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

29 शनिवार बैठक नहीं होगी।

**मार्च, 2020**

01 रविवार बैठक नहीं होगी।

02 सोमवार

03 मंगलवार

04 बुधवार

05 गुरुवार

06 शुक्रवार

वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

1-वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान (आधा दिन)।

2-असरकारी दिवस (आधा दिन)।

07 शनिवार

1-वित्तीय वर्ष 2020-2021 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांगों पर विचार एवं मतदान।

**2-3:00 बजे अपराह्न**

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2020 का सदन की अनुज्ञा से पुरःस्थापन, उस पर विचार एवं उसका पारण।

-----

अध्यादेश की सूची

1-उत्तर प्रदेश माल और सेवा कर (संशोधन) अध्यादेश, 2020

(उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-1 सन् 2020)